HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 14— HLA of 2024

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2024. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 16th August, 2024.

2. In section 9 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 9 of Haryana Act 11 of 1994.

(i) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(4A)The offices of panch shall be reserved for the Backward Classes(B) in every Gram Panchayat and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Gram Panchayat as one-half of the percentage of population of Backward Classes(B) to the total population in that Gram Sabha area and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and such wards shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and Backward Classes(A) and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that every Gram Panchayat shall have at least one panch belonging to the Backward Classes(B) if its population is two percent or more of the total population of the sabha area and such ward shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and Backward Classes(A) and also by rotation in the subsequent elections:

Provided further that where the number of wards so reserved for Backward Classes(B) under this sub-section added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes(A) exceeds fifty percent of the total number of wards in that Gram

Panchayat, then the number of wards reserved for the Backward Classes(B) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes(A), Backward Classes(B) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total wards in that Gram Panchayat.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes(B) under this sub-section, the population of the Gram Sabha area and the population of Backward Classes(B) in said sabha area shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government.";

(ii) after sub-section (7), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(7A) Five percent of the total number of offices of Sarpanch in a block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more shall be reserved for Backward Classes(B) and shall be allotted by draw of lots among the highest three times the number of Gram Panchayats proposed for reservation for Backward Classes(B) which are having the largest percentage of population of Backward Classes(B) after excluding those Gram Panchayats where the post of Sarpanch is already reserved for Scheduled Castes under sub-section (5) and for Backward Classes(A) under sub-section (7) and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of offices of Sarpanch in a block so reserved for Backward Classes(B) under this sub-section added to the number of offices of Sarpanch reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes(A) in that block exceeds fifty percent of the total number of offices of Sarpanch in that block, then the number of offices of Sarpanch reserved for the Backward Classes(B) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the offices of Sarpanch reserved for the Backward Classes (A), Backward Classes(B) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total offices of Sarpanch in that block.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes(B) under this sub-section, the population of the block and the population of Backward Classes(B) in said block shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government.".

3. After sub-section (4) of section 59 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:- Amendment of section 59 of Haryana Act 11of 1994.

"(4A) The offices of member shall be reserved for the Backward Classes(B) in every Panchayat Samiti and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Panchayat Samiti as one-half of the percentage of population of Backward Classes(B) to the total population in that block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and such wards shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and Backward Classes(A) and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of wards of Panchayat Samiti so reserved for Backward Classes(B) added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes(A) exceeds fifty percent of the total number of wards in that block, then the number of wards reserved for the Backward Classes(B) shall be restricted to such largest number that lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes (A), Backward Classes(B) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total number of wards in that Panchayat Samiti.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes(B) under this sub-section, the population of the block and the population of Backward Classes(B) in said block shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government.".

4. After sub-section (4) of section 120 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:- Amendment of section 120 of Haryana Act 11 of 1994.

"(4A) The offices of member shall be reserved for the Backward Classes(B) in every Zila Parishad and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Zila Parishad area as one-half of the percentage of population of Backward Classes(B) to the total population in that Zila Parishad area and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and shall be allotted by draw of lots among the highest three times of the number of wards of Zila Parishad proposed for reservation of Backward Classes(B) which are having the largest percentage population of Backward Classes(B) after excluding those wards of Zila Parishad already reserved for Scheduled Castes and Backward Classes(A) and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of wards of Zila Parishad so reserved for Backward Classes(B) under this sub-section added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes(A) exceeds fifty percent of the total number of wards in that Zila Parishad, then the number of wards of Zila Parishad reserved for the Backward Classes(B) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes (A), Backward Classes(B) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total number of wards in that Zila Parishad.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes(B) under this sub-section, the population of the Zila Parishad area and the population of Backward Classes(B) in said area shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government.".

Repeal and savings.

5. (1) The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2024 (Haryana Ordinance No. 4 of 2024), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to give proportionate reservation to the persons belonging to Backward Classes (B) in the Panchayati Raj Institutions as per the recommendation of the Haryana Backward Classes Commission, the State Government proposes to amend sections 9, 59 and 120 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994. This progressive change will help in empowerment and upliftment of the disadvantaged persons amongst the Backward Classes.

Hence this Bill.

KRISHAN LAL PANWAR,
Development and Panchayats Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 5th November, 2024.

Dr.SATISH KUMAR,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 5th November, 2024, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

11380—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या–14 एच०एल०ए०

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 16 अगस्त, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में,– — 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 9 का संशोधन।

(i) उपधारा (4) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(4क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों (ख) के लिए पंच के पद आरक्षित किए जाएंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होंगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों (ख) से सम्बधित कम से कम एक पंच होगा, यदि इसकी जनसंख्या सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है, और ऐसा वार्ड अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी

जिससे पिछड़े वर्गों (क), पिछड़े वर्गों (ख) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस ग्राम पंचायत में कुल वार्डों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.— इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, ग्राम सभा क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त सभा क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।";

(ii) उपधारा (7) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7क) किसी खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या का पाँच प्रतिशत पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित होगा तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा उन ग्राम पंचायतों, जहां सरपंच का पद उपधारा (5) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए और उप–धारा (7) के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, में पिछड़े वर्गों (ख), जिसमें पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के लिए किसी खण्ड में इस प्रकार आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या, उस खण्ड में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस खण्ड में संरपच के पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क), पिछड़े वर्गों (ख) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित संरपच के पदों की कुल संख्या, उस खण्ड में सरपंच के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.— इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उक्त खण्ड में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 59 की उप–धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 59 का संशोधन।

"(4क) प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्गों (ख) के लिए सदस्य के पद आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस खण्ड में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां पिछड़े वर्गों (ख) के लिए इस प्रकार आरक्षित पंचायत समिति के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस खण्ड में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क), पिछड़े वर्गों (ख) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उक्त खण्ड में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 120 की उप–धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 120 का संशोधन।

"(4क) प्रत्येक जिला परिषद् में पिछड़े वर्गों (ख) के लिए सदस्य के पद आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस जिला परिषद् क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए पहले से ही आरक्षित जिला परिषद् के उन वार्डों को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों (ख), जिनमें पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के आरक्षण हेतु प्रस्तावित जिला परिषद् के वार्डों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा आफ लाटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के लिए इस प्रकार आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क), पिछड़े वर्गों (ख) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, जिला परिषद् क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग (बी) के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन पिछड़े वर्गों के वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में मदद करेगा।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 5 नवम्बर, 2024

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

11380—H.V.S.—H.G.P., Pkl.